

आदेश पर की गई कार्यवाही को थि
बारे में टिपनी
सहित। 3

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही

1

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर०एम०पी० वाद संख्या- 01/2020-21

मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी

-बनाम-

मो० फूलो देवी वगै०

अपीलार्थी :- (1). मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी, पिता-स्व० मंगू मिरधा उर्फ मंगू तूरी, सा०-गेड़ा परिहारपुर, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज।

उत्तरवादी :- (1). मसोमात फूलो देवी, पति-स्व० परमा साह,
(2). आनन्द साह, पिता-स्व० सेवी साह,
(3). प्रभु साह, पिता-स्व० सेवी साह, सा०-रूँजी, पो०-गंगटी, थाना-गंगटी, जिला-गोड्डा।
(4). उपेन्द्र कुँवर प्रधान, मौजा-गेड़ा परिहारपुर, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज।
(5). गणेश मिरधा, पिता-मोती राम मिरधा,
(6). मालती देवी, पति-लालू तूरी, पिता-बाबूराम मिरधा, सा०-धनबाद, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज।

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद आवेदक मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी, पिता-स्व० मंगू मिरधा उर्फ मंगू तूरी, सा०-गेड़ा परिहारपुर, पो०-मंडरो, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज द्वारा संथाल परगना काश्ततकारी अधिनियम 1949 की धारा-67(2) के अन्तर्गत मौजा-गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं०-28, दाग नं०-320 रकवा 00-04-10 धूर जमीन से विपक्षी मसोमात फूलो देवी, पति-स्व० परमा साह, आनंद साह, पिता-स्व० सेवी साह एवं प्रभु साह, पिता-स्व० सेवी साह, सा०-रूँजी, पो०-गंगटी, थाना-गंगटी, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिहानी हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित ब्यान भी दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल ब्यान अन्तर्गत मौजा-गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं०-28, दाग नं०-320 रकवा 00-04-10 धूर जमीन जमाबंदी रैयत भत्तु मिरधा उर्फ भत्तु तूरी है। जमाबंदी रैयत का मृत्यु के बाद जमाबंदी रैयत की पुत्री सोनिया मिरधाईन, पति-फागु मिरधा व उनके पुत्र बाबूराम मिरधा वर्ष 1998

24

आदेश की
क्रमांक एवं
तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

में बसोवास के लिए दिये, जो बिना किसी आपत्ति के आवेदक निवास करते आ रहे हैं। विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के खनदान से नहीं है और सोनिया मिरधा के जीवनकाल में जमाबंदी रैयत की परती जमीन को हड़पने का प्रयास के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर के क्रम में सोनिया मिर्धाइन के पक्ष में आदेश देते हुए विपक्षीगण को उच्छेद करते हुए प्रश्नगत जमीन को खाली कराकर आवेदिका को कब्जा दिलवाने हेतु आदेश दिये हैं।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उपायुक्त न्यायालय अन्तर्गत वाद वाद संख्या 12/2001-02 दाखिल किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है।

विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण क्रमशः 1, 2 एवं 3 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मौजा-गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं०-28, दाग नं०-320 रकवा 00-04-10 धूर जमीन को सोनिया मिरधाइन वगैरह से दिनांक 03.09.1999 को दान-पत्र से लेकर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने के आधार पर दावा कर रहे हैं। मोहन मिरधा अपनी पत्नी सावित्री देवी एवं बच्चों सहित जिरवाबाड़ी में रहते हैं एवं एक जाली कागजात दान-पत्र बनाकर उस जमीन पर दावा करते हैं। आवेदक मौजा के उक्त जमाबंदी पर भी झोपड़ी नहीं है और आवेदक अपने परिवार के साथ कभी भी नहीं रहा है। आवेदक हमेशा से जिरवाबाड़ी में घर बनाकर रह रहा है। विपक्षीगण बहुत गरीब एवं उन्हें आवास हेतु अन्य कोई घर नहीं है।

अतएव विपक्षीगण के कारणपृच्छा को स्वीकार करने तथा आवेदक के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात व अंचल अधिकारी, मंडरो द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

1. मौजा-गेड़ा परिहारपुर, थाना नं०-43, खाता नं०-28, दाग नं०-320 रकवा 00-12-14 धूर जमीन, किस्म-धानी-II भततु मिर्धा वल्द मंगू मिर्धा के नाम खतियान में दर्ज है, जो अहस्तान्तरणीय है।
2. आवेदक गेड़ा परिहारपुर में नहीं रहते हैं। मौजा-गेड़ा परिहारपुर का अंश रकवा 00-04-10 धूर जमीन खतियानी रैयत के वारिशान मसोमात सोनिया मिरधाइन, पति-स्व० फागु मिरधा, पुत्री-मंगल मिरधा, बाबूराम मिरधा, पिता-स्व० फागु मिरधा से शपथ पत्र के माध्यम से दान-पत्र स्वरूप प्राप्त किये हैं।
3. विपक्षीगण मसोमात फूलो देवी, पति-स्व० परमा साह, आनंद साह, पिता-सेवी साह, प्रभु साह, पिता-स्व० सेवी साह, सा०-रूँजी, पो०-गंगटी, थाना-गंगटी, जिला-गोड्डा के निवासी हैं, ने खतियानी रैयत के वारिशान बाबूराम मिरधा एवं अन्य से जमीन प्राप्त किये हैं, जो विवाद का कारण है। चूँकि दोनों कर चौहद्दी एक ही है तथा विपक्षीगण ही वर्णित विवादित दाग नं०-320 रकवा 00-04-10 धूर दावा कर रहे हैं।
4. मंडरो अंचल की भूमि दामिन-इ-कोह अन्तर्गत अवस्थित है जहाँ संधाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है के नियम 20 अन्तर्गत

आदेश पत्र की
गई कार्यवाही
स्थिति

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आ
गई

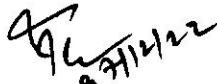
2.

अहस्तांतरणीय है।

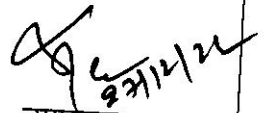
अतएव उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भूमि प्राप्त किया गया है। जबकि पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-42 के तहत उच्छेद किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। यदि भू-स्वामिनी मोसमात सोनिया तूरीन चाहे तो अपना दावा हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सकती है। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



उपायुक्त
साहेबगंज।



उपायुक्त
साहेबगंज।